न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः—7 / 2019 / दावा

1. हिम्मतसिंह पुत्र सुरतसिंह उर्फ सुरजाराम जाति दरोगा निवासी ग्राम बुच्यासी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

—वादी

बनाम

1. संतोष पत्नि सुरतसिंह उर्फ सुरजाराम ाति दरोगा निवासिनी ग्राम बुच्यासी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर हाल आबाद श्री जी 403 संतोष नगर हसनपुरा बी जयपुर (राज0)
2. उप—पंजीयक दांतारामगढ।
3. तहसीलदार, दांतारामगढ

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थितिः

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादी की ओर सें।
2. श्री सोहनलाल वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें।

निर्णय   दिनांक 16.12.2019

1. वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि वादी व प्रतिवादिनी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 3.36 है0, ख0नं0 509, 509/776, 509/717, 511, 511/718 किता 5 कुल रकबा 6.77 है0, खसरा नम्बर 457, 475/734, 476, 477 किता 4 कुल रकबा 2.45 है0, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 148 ता 150 किता 3 कुल रकबा 1.43 है0, खसरा नम्बर 142 ता 144 किता 3 कुल रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 574, 575, 577 किता 3 कुल रकबा 5.08 है0, खसरा नम्बर 601 ता 603, 606, 606/725, 607, 619 किता 7 कुल रकबा 6.67 है0, खसरा नम्बर 614 ता 617, 624 किता 5 कुल रकबा 6.01 है0, खसरा नम्बर 623 रकबा 1.93 है0, खसरा नम्बर 589, 589/724, 590 ता 592, 612, 613, 618 किता 8 कुल रकबा 10.80 है0, खसरा नम्बर 593 ता 600 किता 8 कुल रकबा 8.22 है0 वाके ग्राम बुच्यासी तहसील दांतारामगढ में, खसरा नम्बर 1314, 1334 किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में तथा खसरा नम्बर 83 ता 89, 93, 94 किता 8 कुल

16.12.19

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

रकबा 2.70 है0 वाके ग्राम सांवता का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है जिसमें जमाबंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार वादी के पिता के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादिया संख्या 1 बड़ी तेज एवं होशियार है जो ग्राम पंचायत व तहसीलदार सें साठगांठ कर वादग्रस्त भूमियों में सुरतसिंह उर्फ सुरजाराम के नाम दर्ज हिस्से में से अपने नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कराने की कुचेष्ठों में लगे हुए है जबकि प्रतिवादीया संख्या 1 का कानूनन वादग्रस्त भूमियों में हिस्सा 1/4 है। दिनांक 11.10.2018 को प्रतिवादीया संख्या 1 द्वारा बलात बेदखल करने तथा भूमियों को हस्तांतरित करने की धमकी देने पर वादकारण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण जारी है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमियों में वादी के पिता के नाम सें दर्ज हक हिस्से में सें वादी को 3/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीया संख्या 1 को 1/4 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें वकील श्री सोहनलाल हाजिर आये तथा शेष प्रतिवादीगणों के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी तथा प्रतिवादीया संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजीनामे का अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील वादी व वकील प्रतिवादीया संख्या 1 ने राजीनामे अनुसार डिक्री हेतु निवेदन किया। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार नियम के आधार पर मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिसान को समान विरासत में समान हक हिस्सा मिलना आवश्यक है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 3.36 है0, ख0नं0 509, 509/776, 509/717, 511, 511/718 किता 5 कुल रकबा 6.77 है0, खसरा नम्बर 457, 475/734, 476, 477 किता 4 कुल रकबा 2.45 है0, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 148 ता 150 किता 3 कुल रकबा 1.43 है0, खसरा नम्बर 142 ता 144 किता 3 कुल रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 574, 575, 577 किता 3 कुल रकबा 5.08 है0, खसरा नम्बर 601 ता 603, 606,

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

606/725, 607, 619 किता 7 कुल रकबा 6.67 है0, खसरा नम्बर 614 ता 617, 624 किता 5 कुल रकबा 6.01 है0, खसरा नम्बर 623 रकबा 1.93 है0, खसरा नम्बर 589, 589/724, 590 ता 592, 612, 613, 618 किता 8 कुल रकबा 10.80 है0, खसरा नम्बर 593 ता 600 किता 8 कुल रकबा 8.22 है0 वाके ग्राम बुच्यासी तहसील दांतारामगढ में, खसरा नम्बर 1314, 1334 किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में तथा खसरा नम्बर 83 ता 89, 93, 94 किता 8 कुल रकबा 2.70 है0 वाके ग्राम सांवता का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में सें सुरतसिंह उर्फ सुरजाराम के हिस्से में सें 1/2 हिस्से का वादी हिम्मतसिंह पुत्र सुरतसिंह उर्फ सुरजाराम को तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादीया संख्या 1 संतोष पत्नि सुरतसिंह उर्फ सुरजाराम को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

हिम्मतसिंह बनाम संतोष आदि

दावा बाबत उदघोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं0 7/दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 16.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री शिवपालसिंह** मिनजानेब मुद्दई व श्री सोहनलाल मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिकी इस प्रकार सें जारी की जाती है कि भूमि भूमि खसरा नम्बर 513 रकबा 3.36 है0, ख0नं0 509, 509/776, 509/717, 511, 511/718 किता 5 कुल रकबा 6.77 है0, खसरा नम्बर 457, 475/734, 476, 477 किता 4 कुल रकबा 2.45 है0, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 148 ता 150 किता 3 कुल रकबा 1.43 है0, खसरा नम्बर 142 ता 144 किता 3 कुल रकबा 0.53 है0, खसरा नम्बर 574, 575, 577 किता 3 कुल रकबा 5.08 है0, खसरा नम्बर 601 ता 603, 606, 606/725, 607, 619 किता 7 कुल रकबा 6.67 है0, खसरा नम्बर 614 ता 617, 624 किता 5 कुल रकबा 6.01 है0, खसरा नम्बर 623 रकबा 1.93 है0, खसरा नम्बर 589, 589/724, 590 ता 592, 612, 613, 618 किता 8 कुल रकबा 10.80 है0, खसरा नम्बर 593 ता 600 किता 8 कुल रकबा 8.22 है0 वाके ग्राम बुच्यासी तहसील दांतारामगढ में, खसरा नम्बर 1314, 1334 किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में तथा खसरा नम्बर 83 ता 89, 93, 94 किता 8 कुल रकबा 2.70 है0 वाके ग्राम सांवता का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में सें सुरतसिंह उर्फ सुरजाराम के हिस्से में सें 1/2 हिस्से का वादी हिम्मतसिंह पुत्र सुरतसिंह उर्फ सुरजाराम को तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादीया संख्या 1 संतोष पत्नि सुरतसिंह उर्फ सुरजाराम को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखते ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील ...	–	–	खर्चा गवाहान ...		
खर्चा गवाहान ...	–	–	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा ...		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner